प्रति,

¼1½ ekuuh; eq[;ea=h egksn;]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

¼2½ ekuuh; ea=h egksn;]
uxjh; iz'kklu ,oa fodkl foHkkx]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

fo"k; %& tSu ioZ & Þi;qZ"k.k ioZß ds ikou ij 10 fnuksa rd i'kqo/k x`g ¼cwpM+[kkuk½ cUn j[kus ,oa ekal foØ; dh nqdkusa Hkh cUn j[kus tkus ds lca/k eas A ekU;oj]

¼1½ देश के mPpre U;k;ky;] ubZ fnYyh के U;k;ewfrZ Jh ,p- ds- lsek एवं Jh ekdZ.Ms; dkVtw ने 14 ekpZ] 2008 को Þfgalk fojks/kd la?k विरुद्ध fetkZiqj eksrh dqjs'k tekr ,oa vU;ß ¼flfoy vihy u- 5469] 5470] 5472] 5474] 5476] 5478] 5479&80&81@2005½ के संबंध में 36 पृष्ठीय ऐतिहासिक फैसला सुनाया था । यह फैसला उच्चतम न्यायालय की बेवसाइट–www. supremecourtofindia.nic.in तथा WWW.JUDIS.NIC.IN पर एवं All India Reporter (AIR) - July, 2008 - Supreme Court,1892 S.C. - S.C. 1903 पर भी उपलब्ध है । इस फैसले में जैन पर्व Þi;qZ"k.k ioZß के 9 दिनों के लिए पशुवध गृह एवं मांस की दुकानों को बंद करने हेतु अहमदाबाद नगर निगम द्वारा लगाये गये प्रतिबंध को उचित माना था । अतः गुजरात हाईकोर्ट (सिविल अपील नं. 6329 / 1988,दिनांक 22–06–2005) के द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्णय को उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने पलट कर गुजरात सरकार के द्वारा जैनों के विशिष्ट पर्व Þi;qZ"k.k ioZß के दिनों में 9 दिनों के लिए पशुवध एवं मांस विक्रय की दुकानों को बंद करना उचित माना था ।

¼2½ fcgkj ljdkj के xg ¼fo'ks"k½ foHkkx के mi lfpo के द्वारा i= la[;k& lh@tsq-,- &5501@08&8984] iVuk] fnukad 29 vxLr] 08 में प्रदेशस्थ सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश प्रदान किया था कि जैनों का त्यौहार दिनांक 04 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2008 तक मनाया जाएगा । अतएव जैन त्यौहार के अवसर पर याचित आवेदन के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

¼3½ इस सम्बन्ध में jktLFkku ljdkj के Lok;Ùk 'kklu foHkkx] t;iqj के lfpo के द्वारा जैन धर्म के Þi;qZ"k.k ioZß के 9 दिनों को Þvfgalk fnolß घोषित किया था । 'kklukns'k Øekad i- 24 ¼x½ ¼13½@fu;e@Mh,ych@89@5135&5330] fnukad 30&08&2008 में भाद्रपद शुक्ल 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14 एवं आसौज कृष्ण 1 वि. सं. 2065 के 9 दिनों तक राज्य के सभी बूचड़खाने एवं मांस–मछली की सभी दुकानें बंद रखे जाने का आदेश निर्गमित किया था ।

¼4½ जैन–धर्म के दिगम्बर जैन समुदाय एवं श्वेताम्बर जैन समुदाय के भी अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं, जन–प्रतिनिधियों, विधायकों एवं सांसदों आदि के द्वारा दोनों ही समुदायों के द्वारा अपनी–अपनी परम्पराओं में मान्य तिथियों में पर्यूषण पर्व के अति पावन प्रसंग पर प्रदेशस्थ सभी बूचड़खाने एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रखे जाने हेतु माँग की जाती रही है ।

&&2

¼5½ चूँकि वर्ष 2009 में जहाँ श्वेताम्बर जैन समुदाय के द्वारा 17 से 24 अगस्त, 2009 तक के दिनों में पर्यूषण पर्व के 8 दिनों तक धार्मिक समायोजन सम्पन्न किया गया, वहीं दिगम्बर जैन समुदाय द्वारा 24 अगस्त से 4 सितम्बर, 2009 तक पर्यूषण पर्व के 12 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान किया था ।

¼6½ इस सम्बन्ध में jktLFkku 'kklu के fun'kky; & LFkkuh; fudk; foHkkx] jktLFkku] t;iqj के mi 'kklu lfpo के द्वारा श्वेताम्बर जैन समुदाय के द्वारा पर्यूषण पर्व के 8 दिनों यानि 17 से 24 अगस्त, 09 तक के लिये राज्य के समस्त बूचड़खाने एवं मांस–मछली की दुकानों को बंद रखे जाने हेतु प्रथमतः lell[;d i=kd Øekd i- 24 ¼x½ ¼13½@fu;e@Mh,ych@89@ikVZ&II, 438&625] fnukd 22&07&2009 प्रसारित किया था ।

¼7½ तत्पश्चात् दिगम्बर जैन समुदाय की माँग/भावनाओं को भी दृष्टि में रखकर इस समुदाय द्वारा i;q"k.k ioZ ¼n'ky{k.k ioZ½ के वर्ष 2009 के बारह दिनों यानि 24 अगस्त से 04 सितम्बर, 2009 तक राजस्थान राज्य के समस्त बूचड़खाने एवं मांस–मछली की दुकानों को बंद रखे जाने हेतु jktLFkku 'kklu के fun'kky;& LFkkuh; 'kklu fudk; foHkkx] jktLFkku] t;iqj के mi 'kklu lfpo द्वारा दिनांक 28&07&2009 को i= Øekd i -24 ¼x½ ¼13½@fu;e@Mh,ych@89@ikVZ&II, 647&735 आदेश निर्गमित किया था ।

¼8½ अतएव इस आंशिक संशोधित आदेश के अनुसार दोनों ही जैन समुदायों द्वारा मान्य अपनी–अपनी तिथियों में पर्यूषण पर्व संबंधी कुल 19 दिनों हेतु 17 अगस्त से 04 सितम्बर, 2009 तक राजस्थान प्रदेश में स्थित समस्त बूचड़खाने एवं मांस–मछली विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने के आदेश वर्ष 2009 में प्रसारित किए गए थे ।

¼9½ NÙkhlx< 'kklu के uxjh; iz'kklu ,oa fodkl foHkkx, nkm dY;k.k flag Hkou] jk;iqj के voj lfpo द्वारा Ø- 4124@4189@18@2006] jk;iqj] fnukd 12&08&2009 को जैन पर्यूषण पर्व के अवसर पर भाद्रपद वदी द्वादस से भाद्रपद सुदी चतुर्थी तक के 8 दिवसों तक पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद रखे जाने एवं इस शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के समस्त कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को जारी किया गया था ।

¼10½ माननीय महोदय से निवेदन है कि lqihze dksVZ के द्वारा प्रदत्त उपरिलिखित फैसले के परिप्रेक्ष्य में तथा fcgkj jkT; 'kklu] jktLFkku jkT; 'kklu एवं NÙkhlx< jkT; 'kklu के द्वारा निर्गमित विभिन्न शासनादेशों के समान ही इस वर्ष के i;q"k.k ioZ – Hkknzin lqnh prqFkhZ ls Hkknzin lqnh prqn'kh तक यानी fnukd - -/- -/- - - - ls fnukd - -/- -/- - - - तक के दिनों में तथा आगामी प्रत्येक वर्ष के लिए भी bUgha frfFk;ksa हेतु (तिथियों के आधार पर तत्कालील वर्ष के दिनांकों का निर्धारण कराकर) प्रदेश में स्थायी शासनादेश जारी करके i;q"k.k ioZ ds 10 fnuksa dks Þvfgalk fnolß घोषित कर उन दिवसों में राज्य के सभी बूचड़खाने, मांस विक्रय केन्द्रों को बंद करने का आदेश प्रसारित किया जाये ।

¼11½ इस सम्बन्ध में आपके द्वारा वर्ष - - - - के पर्यूषण पर्व के उक्त 10 दिनों तक एवं आगामी प्रत्येक वर्ष हेतु स्थायी शासनादेश अतिशीघ्र प्रसारित कर आदेश की एक प्रति हमें प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ऐसा आपसे निवेदन है ।

/kU;okn !

Hkonh;

layXu ¼&

1. सुप्रीम कोर्ट का उपरिलिखित फैसला ।
2. बिहार शासन के शासनादेश की छाया प्रति ।
3. राजस्थान शासन के स्वायत्त शासन विभागके द्वारा निर्गमित आदेशों की एक–एक छाया प्रतियाँ ।
4. छत्तीसगढ़ शासन के शासनादेश की छाया प्रति ।

lEekuh; !

जैनधर्म में ^i;Z"k.k ioZ* का अत्यधिक महत्त्व है । इसी की महत्ता को दृष्टि में रखकर 'अहिंसा परमो धर्मः' के मूल सिद्धान्त को पल्लवित करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा ^i;Z"k.k ioZ* के दिनों में बूचड़खाने एवं मांस–मछली के विक्रय को बंद रखने हेतु समय–समय पर आदेश प्रसारित किये जाते रहे हैं ।

पहले गुजरात राज्य में इस संबंध में प्रसारित आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने अनुचित मानकर उसे रद्द कर दिया था । किन्तु गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा प्रदत्त निर्णय को सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के द्वारा उचित नहीं माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने ^i;Z"k.k ioZ* के 9 दिनों में बूचड़खाने तथा मांस–मछली की दुकानों को बन्द रखे जाने वाले अहमदाबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन के निर्णय को ही उचित ठहराया था ।

सुप्रीम कोर्ट, बिहार, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य शासनों द्वारा प्रसारित आदेशों की सूचना एक ज्ञापन के साथ/माध्यम से आप तक प्रेषित की/कराई जा रही है । इन प्रमाणों के आधार पर आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, आपके जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक आदि जनप्रतिनिधियों को समय रहते उन्हें ज्ञापन देकर/भेजकर जैन समाज की भावनाएँ प्रेषित करें ।

इसी के साथ आपसे यह भी अपेक्षा की जा रही है कि देश/प्रदेश के अन्य नगरों में स्थित अपने परिचित, रिश्तेदार, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इस विवरण को अधिकाधिक पहुँचाएँ ताकि इस वर्ष के 'पर्यूषण पर्व' के दिनों तक शासन के द्वारा आदेश प्रसारित हो/ही जाएँ । इसके लिए स्थानीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कलेक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार आदि को ज्ञापन सौंपे एवं उसकी सूचना स्थानीय पत्रकारों, संवाददाताओं के द्वारा पत्र–पत्रिकाओं में समाचार प्रकाशित कराएँ, परस्पर में एस.एम.एस. एवं म्उंपस कर दूसरों तक जानकारी प्रेषित करें तथा विभिन्न टी.वी. चैनलों तक भी समाचार भिजवाएँ, ताकि उसे पढ़कर या सुनकर/देखकर अन्य स्थानों की जैन समाजों के द्वारा आपके सत्प्रयास से प्रेरणा पाकर अपने यहाँ भी वैसा प्रयास किया/कराया जा सके ।

इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य ही सूचित करें । तत्संबंधी उचित समाधानकारक सामग्री या सलाह प्रदान करने में हमें आत्मीय प्रसन्नता होगी । संभव हो तो आपके द्वारा इस संबंध में किये जा रहे/कराए गए प्रयास की जानकारी मुझे भी उपलब्ध कराएँ, ताकि उसके आधार पर आगे उचित कार्रवाई की/कराई जाने में सुगमता हो सके ।

Hkonh;

lfpu tSu
lnj cktkj pUnsjh]
ftyk & v"kksduxj] e-iz-
eksck- ua- 9977465353] 9407235843
Email : sachinjain392@gmail.com